CNR NO. UPDE 0100 2524 2026
न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।
पीठासीन अधिकारी–धनेन्द्र प्रताप सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)--UP2016
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1034/2026

श्वेता मिश्र उर्फ जूली पुत्री कौशल मिश्रा
साकिन–सिकरहटा, थाना–बनकटा, जिला–देवरिया।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता,

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध संख्या–126/2026
धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 127(2), 109(1) भा0 न्या0 सं0
थाना–बनकटा, जिला–देवरिया।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता **श्वेता मिश्र उर्फ जूली,** जो अपराध संख्या–126/2026, धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 127(2), 109(1) भा0 न्या0 सं0, थाना–बनकटा, जनपद देवरिया के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थिनी/अभियुक्ता के जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता कौशल मिश्रा, द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

3. प्रथम सूचनाकर्ती मिन्टू देवी द्वारा थाना बनकटा, जिला देवरिया में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गई कि दिनांक 21.05.2026 के रात लगभग 10 बजे रात में उसके लड़के दिवाकर मिश्र पुत्र कन्हैया मिश्र ब्रहम्भोज खाने के लिए गांव में गया था जब वह वापस आ रहा था तभी उसके गांव के अभिषेक मिश्र उर्फ सोनू व अन्य दो–तीन अज्ञात लोग पकड़कर अपने घर ले जाकर जहां पर अभिषेक मिश्र पुत्र कौशल मिश्र व उसकी मां अंजना व उसकी बहन स्वेता उर्फ जुली मिश्र निवासीगण सिकरहटा थाना बनकटा जिला देवरिया व दो–तीन लोग अज्ञात द्वारा बुरी तरह से मारा–पीटा गया व उसके बाद अभिषेक मिश्र अपने दो–तीन अज्ञात साथियों से उसके लड़के दिवाकर मिश्र को वहां से काली मन्दिर पर ले जाकर मारा–पीटा व छोड़ दिया व जाते हुए गाली–गुप्ता देकर धमकी दिया। कही शिकायत की तो जान से मार दूंगा। उसके लड़के को गंभीर चोट आई है, हम लोग तुरन्त अपने लड़के को पी.एच.सी. बनकटा ले जाया गया वहां से रेफर देवरिया कर दिया गया उसके बाद दवा इलाज

कराकर वह सूचना थाना पर दे रही है। अतः उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

4. प्रथम सूचनाकर्ता के उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिनांक 22.05.2026 को अभियुक्तगण अभिषेक मिश्र उर्फ सोनू, अंजना, स्वेता उर्फ जुली मिश्र एवं 2–3 अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना–बनकटा, जिला–देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या–126/2026, अंतर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3) भा0 न्या0 सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा–127(2), 109(1) भा0 न्या0 सं0 की बढ़ोत्तरी की गई।

5. प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वह निर्दोष है तथा कोई अपराध कारित नहीं की है। उसको रंजिशवश फंसाया गया है। तथाकथित घटना दिनांक 21.05.2026 की कही जाती है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.05.2026 को दर्ज विलम्ब से दर्ज करायी गयी तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तथाकथित घटना में किस हथियार से कौन मारा, इसका कोई जिक्र नहीं है। प्रथम सू.चना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी के लड़के को प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा घर पर ले जाने का कोई आरोप नहीं है एवं इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा वादिनी के लड़के को मारने का कोई रोल नहीं है। वादिनी के लड़के को किस हथियार से मारा गया या किस प्रकार चोट पहुंचाई गई, इसका कोई उल्लेख नहीं है तथा गाली–गुप्ता व धमकी देने का कोई आरोप नहीं है। वादिनी के लड़के को जान से मारने की नियत से भी कोई आरोप नहीं है व उसके शरीर के किस जगह चोटें आयी, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। जिन चोटों के आधार पर रिपोर्ट लिखाई गयी है, उसका प्रार्थिनी/अभियुक्ता से कोई संबंध नहीं है व सामान्य प्रकृति की है। राजनीतिक दबाव में धारा–109(1), 127(2) बी.एन.एस. की बाद में बढ़ोत्तरी करायी गयी है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तथाकथित घटना का कोई भी मोटिव नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। तद्नुसार प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र दिवाकर मिश्र को पकड़कर, अपने घर ले जाकर मारपीट कर गंभीर चोटें कारित की गई, पुनः काली मन्दिर पर ले जाकर मारपीट कर चोटें कारित की गई एवं जाते हुए गाली–गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी दी गई। अपराध की गंभीरता एवं दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के

तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित केस डायरी एवं संबंधित अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ती के पुत्र दिवाकर मिश्र को पकड़कर, अपने घर ले जाकर मारपीट कर गंभीर चोटें कारित की गई, पुनः काली मन्दिर पर ले जाकर मारपीट कर चोटें कारित की गई एवं जाते हुए गाली–गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में अभियोजन के उपरोक्त कथनों से इंकार किया गया है। चोटिल दिवाकर मिश्र के इंजरी रिपोर्ट में उसके सिर एवं शरीर के अन्य हिस्से पर चोटे आना अंकित है। जिसके लिए एक्स–रे की सलाह दी गई है किन्तु कोई एक्स–रे रिपोर्ट केस डायरी पर उपलब्ध नही है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

9. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर बिना विचार व्यक्त किये, उपरोक्त प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता **श्वेता मिश्र उर्फ जूली** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **मु0–1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) की दो प्रतिभू एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध–पत्र** संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर, प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्न शर्तों के साथ, अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. प्रार्थिनी/अभियुक्ता इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित होगी।

2. प्रार्थिनी/अभियुक्ता गवाहान को डरायेगी, धमकायेगी नहीं एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी।

3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता स्वयं के निवास स्थान एवं उनके प्रतिभू के निवास स्थान में परिवर्तन में इसकी सूचना न्यायालय को उपलब्ध करायेगी।

4. प्रार्थिनी/अभियुक्ता न्यायालय में परीक्षण के दौरान जब अभियोजन के साक्षी, साक्ष्य हेतु उपस्थित रहेंगे, तब किसी आधार पर स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।

5. प्रार्थिनी/अभियुक्ता जमानत के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी। यदि वह अपराध की पुनरावृत्ति करते हुए पकड़ी जाये तो वह जमानत निरस्त किये जाने का आधार

होगा।

इस आदेश में दिये गये निष्कर्ष मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेंगे।

दिनांक–06.06.2026

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।